आर. जी. गुप्ता
अध्यक्ष
विद्युत वितरण कम्पनीज, राजस्थान

विद्युत भवन, जनपथ
जयपुर–302 005

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ● अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ● जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक. अध्यक्ष डिस्कॉम्स/एमआईएस/प्रे. 635 जयपुर, दिनांकः 30.09.2014

कार्यालय आदेश – 14/24

वितरण निगमों की प्रगति समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी मात्रा में घरेलू कनेक्शन लम्बित है। लम्बित कनेक्शनों को तेजी से जारी करने के लिए निम्न निर्देश दिये जाते है :–

1 मांग राशि जमा मात्र सर्विस कनेक्शन से जारी किये जाने योग्य सभी लम्बित घरेलू कनेक्शनों को 15 अक्टूबर, 2014 तक जारी कर दिया जावे।

2 मांग राशि जमा ऐसे कनेक्शन जिनके लिए अतिरिक्त वितरण तंत्र स्थापित किया जाना है को जारी करने के लिए रोड मैप बनाया जावे ताकि सभी ऐसे लम्बित कनेक्शन 15 नवम्बर, 2014 तक आवश्यक रूप से जारी कर दिये जावे।

3 ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकृत गांव एवं विद्युतीकृत ढाणियों में घरेलू कनेक्शन देने पर कोई रोक नहीं है एवं जहां भी आवश्यकता हो ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि कर लम्बित घरेलू कनेक्शन देने हेतु कार्यवाही की जावे।

4 दिनांक 31.03.2014 तक आवेदित घरेलू कनेक्श्नों के मांग पत्र जारी किया जाना जिन उपखण्डों मे लम्बित है वे सभीं 10 अक्टूबर, 2014 तक जारी कर दिये जावे।

5 दिनांक 30.09.2014 तक आवेदित लम्बित घरेलू कनेक्श्नों के मांग पत्र 30 अक्टूबर, 2014 तक जारी कर दियें जावे।

6 भविष्य में घरेलू कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त होते ही 21 दिवस में मांग पत्र जारी कर दिया जावे एवं मांग पत्र जमा होते ही सर्विस कनेक्शन से जारी हो सकने वाले कनेक्शनों को मांग पत्र जमा होने के 15 दिवस में एवं अतिरिक्त वितरण तंत्र स्थापित करने संबंधी कनेक्शनों को एक माह में जारी करना सुनिश्चित किया जावे।

7 घरेलू कनेक्शनों के लम्बित रहने की स्थिति को मोनेटरिंग करने हेतु निम्न श्रेणियों में विभाजित कर शीघ्रता से कनेक्शन जारी करने की कार्य योजना की प्रतिमाह समीक्षा की जावेगी।

ए – 3 माह से अधिक व 6 माह से कम समय से लम्बित
बी – 6 माह से अधिक व 9 माह से कम समय से लम्बित
सी – 9 माह से अधिक व 12 माह से कम समय से लम्बित
डी – 12 माह से अधिक समय से लम्बित

8 घरेलू कनेक्शनों को अधिकतम 3 माह की अवधि में जारी करने हेतु सहायक अभियन्ता से संभागीय मुख्य अभियन्ता तक लगातार निगरानी किया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि घरेलू कनेक्शन लक्षित समय में जारी कर दिये जावे व अनावश्यक देरी न हो।

9 संभागीय मुख्य अभियन्ता उपखण्ड स्तर पर आवश्यक लाईन मैटिरियल की समय पर व्यवस्था हेतु मुख्य अभियन्ता (एमएम) को माहवार आवश्यक सामान की सूची भेज कर पदार्थ प्रबंधन की निगरानी करे।

10 अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ता यह सुनिश्चित करेगें कि उपखण्ड स्तर पर लाईन मैटिरियल की समय पर उपलब्धता हो ताकि लक्षित समय में घरेलू कनेक्शन जारी हो सके।

11 आवेदन के बाद घरेलू कनेक्शनों में देरी के लिए श्रेणीवार निम्न अधिकारी उत्तरदायी होगे एवं लम्बित कनेक्शनों को शीघ्रता से कराने के लिए व्यक्तिशः कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

ए – 3 माह से अधिक के लिए सहायक अभियन्ता

बी – 6 माह से अधिक के लिए अधिशाषी अभियन्ता

सी – 9 माह से अधिक के लिए अधीक्षण अभियन्ता

डी – 12 माह से अधिक के लिए संभागीय मुख्य अभियन्ता

12 निदेशक (तकनीकी) निगम स्तर पर घरेलू कनेक्शनों के जारी होने एवं लम्बित होने के कार्य की मासिक समीक्षा करेगें।

13 उपरोक्त ए, बी, सी, डी श्रेणीवार लम्बित घरेलू कनेक्शनों की स्थिति के अनुरूप ही सभी अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में आंकलन परिलक्षित होगा।

(आर.जी.गुप्ता)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित है :–

1. प्रबंध निदेशक, अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर / जोधपुर।
2. निदेशक (वित्त / तकनीकी / पीटी),जयपुर अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम,
3. मुख्य अभियन्ता (एमएम), जयपुर / अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम,
4. संभागीय मुख्य अभियन्ता ( ), जयपुर / अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम, ... को अधिनस्थ सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देशन हेतु।
5. प्रावैधिक सहायक, अध्यक्ष डिस्कॉम्स, जयपुर।

(टी.एस.शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (एमआईएस)